कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक **290**/दो–12–01/2014 बलौदाबाजार, दिनांक 12 /12/2023

इस स्थापना में आकस्मिकता निधि के पद वाटरमेन के पद पर कार्यरत कर्मचारी श्री पवन सोनी, पिता स्व. श्री सुरेश कुमार सोनी, पता गुरूनानकदेव, वार्ड 06 बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के स्वयं के निवेदन पर उनका त्यागपत्र स्वीकार कर कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय द्वारा गठित चयन समिति, द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 08.12.2023 के अनुसार चयन किये गये अभ्यर्थी की सूची को अनुमोदित किये जाने से आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर उसके पदभार ग्रहण तिथि से विहित शर्तों के अधीन पूर्ण अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः–

क.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पूर्ण पता	पद का नाम	चयनित वर्ग/श्रेणी	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री कान्हा यादव पिता श्री संतोष कुमार यादव, पता–सिविल लाईन, वार्ड नं. 03 बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)	वाटरमेन	अनारक्षित	–

नियुक्ति की शर्तेः–

1. चयनित उम्मीदवार आवश्यक रूप से अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की मूल सहित स्वयं अभिप्रमाणित कर साथ लावें।
2. जिला चिकित्सालय से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य के आधार पर शासकीय सेवा के योग्य न पाये जाने पर नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।
3. पदभार ग्रहण करने के पश्चात् पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जायेगा, किसी अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।
4. यदि शासकीय सेवा छोडना चाहे तो एक माह की पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी अथवा एक माह का वेतन तथा उस पर देय सभी भत्ते कार्यालय में जमा करना होगा।
5. नियोक्ता की पूर्व अनुमति के बिना आगे शिक्षा जारी नहीं रख सकेगा एवं पूर्व अनुमति के अन्यत्र नौकरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
6. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी की आवश्यकता न होने पर या उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं होने पर, बिना कारण बताये किसी भी समय सेवाएं समाप्त किये जाने योग्य होगी।
7. किसी भी प्रमाण पत्र के असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
8. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 10 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा। इस हेतु पुनः सुचित नहीं किया जावेगा।

9. नियुक्त कर्मचारी को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस न्यायिक जिले के बाह्य न्यायालयों में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

10. उक्त नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के SLP(C) No. 19666/2022 के अंतिम आदेश एवं माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पीटिशन कमांक (सी) 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के आदेश/निर्णयों के अध्यधीन होगा।

सही/–
(राकेश बिहारी घोरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1726 /दो–12–01/2014 बलौदाबाजार, दिनांक 12 /12/2023

प्रतिलिपिः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. श्री कान्हा यादव पिता श्री संतोष यादव, पता–सिविल लाईन, वार्ड कमांक 03 बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. लेखापाल कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार की ओर जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

12/12/2023
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ.ग.)